न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 659/2024

अरबिन्द कुमार उपाध्याय...............................वादी।

बनाम्

कमलाकांत उपाध्याय वगैरह्...............................प्रतिवादीगण।

आदेश

27.05.2025

वादी की हाजिरी है। वादी की ओर से दिनेशचंद्र उपाध्याय का मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति दाखिल किया गया। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 03.05.2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के प्रतिवादी सं0 05 दिनेशचंद्र उपाध्याय की मृत्यु दिनांक 05.02.2025 को हो चुकी है तथा अनुरोध करते हैं कि मृत प्रतिवादी सं0 05 दिनेशचंद्र उपाध्याय का नाम कलमजद करते हुए उनके जगह पर उनके कानूनी वारीसान उमा उपाध्याय, कुमार गौरव उपाध्याय तथा दिव्या पाठक का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस वाद में कोई भी प्रतिवादी अभी तक उपस्थित नहीं है। वादी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा समय सीमा के अंदर दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 03.05.2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 को स्वीकृत किया जाता है तथा मृत प्रतिवादी सं0 05 दिनेशचंद्र उपाध्याय का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है तथा उनके कानूनी वारीसान उमा उपाध्याय, कुमार गौरव उपाध्याय तथा दिव्या पाठक का नाम मृत प्रतिवादी के नाम के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय मृत प्रतिवादी सं0 05 दिनेशचंद्र उपाध्याय का नाम कलमजद करें तथा उनके कानूनी वारीसान उमा उपाध्याय, कुमार गौरव उपाध्याय तथा दिव्या पाठक का नाम मृत प्रतिवादी के नाम के स्थान पर प्रतिस्थापित करें। वादी नए प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतू आवश्यक आपेक्षिकांए दाखिल करें तत्पश्चात कार्यालय नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–20.06.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)